कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक
मध्यप्रदेश

क्रमांक एफ 2–2/99/9/एक भोपाल, दिनांक 21.03.01

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
समस्त प्रमुख कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश

विषयः सिटीजन चार्टर।

संदर्भः इस विभाग का परिपत्र क्रमांक 1874/59/व्हीआईपी/97/एक/2 दिनांक 28/12/98, ज्ञापन क्रमांक एफ 2–2/99/9/एक दि. 29/9/99 तथा ज्ञापन क्र. एफ–11–52/99/9/एक दि. 2/12/99 एवं 7/12/99.

––0––

इस विभाग के ऊपर संदर्भित ज्ञापनों में सिटीजन चार्टर संबंधी विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं, जिनमें सिटीजन चार्टर का निर्धारित अवधि में पालन सुनिश्चित करने, समय पर पालन न करने पर संबंधित के विरूद्ध अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही करने, सिटीजन चार्टर की विभागवार, जिलेवार एवं कार्यालयवार मासिक समीक्षा करने के निर्देश हैं।

2/ इस संबंध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सिटीजन चार्टर में निर्धारित समय पर कार्यवाही नहीं करने वाले विभाग के अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की जाये तथा जिलों में सिटीजन चार्टर के संबंध में कलेक्टरों द्वारा नियमित रूप से समीक्षा की जाये।

3/ शासन के इस निर्णय के पालन में निर्देशित किया जाता है कि सिटीजन चार्टर के बारे में शासन के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाये ताकि आवेदक को निर्धारित समय–सीमा में जानकारी प्राप्त हो। ऐसा न करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और उसके विरूद्ध मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम–1965 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम–1966 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक/दण्डात्मक कार्यवाही की जाये।

4/ सिटीजन चार्टर की विभागवार एवं जिलेवार मासिक समीक्षा नियमित रूप से की जाये। समस्त कलेक्टर जिला स्तर पर प्रत्येक माह नियमित रूप से की गई समीक्षा की जानकारी इस विभाग को संलग्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 10 तारीख तक भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : एक प्रपत्र।

(एल. सी. पण्ड्या)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

कार्यालय महानिरीक्षक पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांक

मध्यप्रदेश

क्रमांक 931/एक/तक/2001 भोपाल, दिनांक 07.04.01

प्रतिलिपि :

समस्त जिला पंजीयक (म.प्र.) की ओर भेजकर लेख है कि शासन द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी तत्काल भेजने की व्यवस्था करें।

कृपया भविष्य में भी प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजें।

(एल. सी. पण्ड्या)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन

lkekU; iz'kklu foHkkx